

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

50

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4222-एक/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 10-10-14 पारित द्वारा तहसीलदार, नरसिंहगढ़ प्रकरण क्रमांक 09/अ-70/13-14.

पूनमचंद आ. श्री गोपीलाल
निवासी ग्राम चाठा जागीर,
तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ म.प्र.

----- आवेदक

विरुद्ध

शिवनारायण आ. श्री गोपीलाल
निवासी ग्राम चाठा जागीर तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ म.प्र.

----- आवेदक

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री जी.एस. राठौर, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/15 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, नरसिंहगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ-70/13-14 में पारित आदेश दिनांक 10-10-14 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक पूनमचंद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक के विरुद्ध संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पेश किया जिसमें सीमांकन के आधार पर अनावेदक के कब्जे में पाई गई भूमि रकबा 0.184 हैक्टर का कब्जा दिलाने की मांग की गई । प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पेश किया जिसमें बताया कि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल में निगरानी पेश की गई जो लंबित है अतः निगरानी के निराकरण तक कब्जे की कार्यवाही स्थगित रखी

Handwritten signature

जाये । तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिए गए हैं । इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राजस्व मंडल द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण को स्थगित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि सीमांकन में भूमि अनावेदक के कब्जे में आई है । अनावेदक आवेदक की भूमि पर अवैधानिक कब्जे को बनाए रखना चाहता है । इसी उद्देश्य से असत्य आधारों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । सीमांकन आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक 3153-तीन/14 पेश की है । यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो उनकी निगरानी निरर्थक हो जायेगी । अतः तहसील न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । तहसीलदार का उक्त अंतरिम आदेश इस तथ्य पर आधारित है कि सीमांकन के आदेश के विरुद्ध निगरानी राजस्व मंडल में लंबित है । राजस्व मंडल में लंबित निगरानी प्रकरण क्रमांक 3153-तीन/14 में आदेश दिनांक 11-2-15 पारित हो चुका है । ऐसी स्थिति में जब तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-10-14 निरर्थक हो चुका है । अतः इस निगरानी का अंतिम निराकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वह इस प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही राजस्व मंडल के निगरानी प्रकरण क्रमांक 3153-दो/14 में पारित आदेश दिनांक 11-2-15 को ध्यान में रखते हुए करें ।



(मनोज गोयल)

प्रशा0 सदस्य,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर